

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना
जयपुर, फरवरी 12, 2018

राजस्थान स्टाम्प नियम, 2004 के नियम 58 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) और उप-नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इस विभाग की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना संख्यांक प. 4(4)वित्त/कर/2015-226 दिनांक 09.03.2015 में इसके द्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) 100 वर्गमीटर और उससे अधिक क्षेत्रफल वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दरों से संबंधित विद्यमान खण्ड 8 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-
“8. 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों की दरें
जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई दरों पर आधारित 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले आवासीय या वाणिज्यिक भूखण्डों का मूल्यांकन 5 प्रतिशत तक घटाया जायेगा।”;
- (ii) खण्ड 10 में, विद्यमान अभिव्यक्ति “75 प्रतिशत” के स्थान पर, अभिव्यक्ति “50 प्रतिशत” प्रतिस्थापित की जायेगी;
- (iii) विद्यमान खण्ड 11 में, निम्नलिखित नया स्पष्टीकरण जोड़ा जायेगा, अर्थात् :-
“स्पष्टीकरण: यदि भूमि के वास्तविक उपयोग की दरें ऐसी भूमि के अनुमोदित भू-उपयोग की दरों से कम हैं तब भूमि का मूल्यांकन अनुमोदित भू-उपयोग के आधार पर अवधारित किया जायेगा।”;
- (iv) 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरों से संबंधित विद्यमान खण्ड 13 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-
“13. 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें
राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क में यथा परिभाषित नगरीय क्षेत्रों या नगरयोग्य सीमाओं या नगरीय क्षेत्रों की उपान्त पट्टी में अवस्थित 1000 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाली कृषि भूमि की दरें उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दरों के समतुल्य होंगी।
स्पष्टीकरण: (i) उपर्युक्त दरें विक्रय की लिखत पर लागू होंगी।
(ii) जहां कृषि भूमि के विक्रय की लिखत में क्रेताओं की संख्या एक से अधिक है और किसी क्रेता का हिस्सा 1000 वर्गमीटर या उससे कम है, वहां भूमि के ऐसे हिस्से का मूल्य उस क्षेत्र की आवासीय भूमि की दर पर संगणित किया जायेगा।”;


11

(v) खण्ड 14 में, विद्यमान स्पष्टीकरण (i) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

“(i) रीको औद्योगिक क्षेत्र में संस्थागत, आवासीय और वाणिज्यिक भूमि के लिए विनिर्दिष्ट उपर्युक्त दरें कलक्टर (स्टाम्प) या किसी अन्य न्यायालय के समक्ष लंबित मामलों में भी लागू होंगी।”

[सं.प.4(3)वित्त/कर/2018-190]

राज्यपाल के आदेश से,


प्रवीण गुप्ता
शासन सचिव

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(TAX DIVISION)**

**NOTIFICATION
Jaipur, February 12, 2018**

In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-rule (1) and sub-rule (4) of rule 58 of the Rajasthan Stamp Rules, 2004, the State Government hereby makes the following amendments in this department's notification number F.4(4)FD/Tax/2015-226 dated 09.3.2015, as amended from time to time, namely:-

AMENDMENTS

In the said notification,-

- (i) the existing clause 8 relating to rates of commercial plots having area of 100 sq. meter and above shall be substituted by the following, namely:-

"8. Rates of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter

Valuation of residential or commercial plots having area more than 3000 sq. meter, based on the rates recommended by the District Level Committee shall be reduced by 5%.";

- (ii) in clause 10, for the existing expression "75%", the expression "50%" shall be substituted;

- (iii) in the existing clause 11, the following new explanation shall be added, namely:-

"Explanation: If the rates of actual use of land are lower than the rates of approved land use of such land then the valuation of land shall be determined on the basis of approved land use.";

- (iv) existing clause 13 relating to rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter shall be substituted by the following, namely:-

"13. Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter

Rates of agriculture land having area upto 1000 sq. meter situated in urban areas or urbanisable limits or in periphery belt of urban areas as defined in section 90-A of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Act No. 15 of 1956), shall be equal to the rates of residential land of that area.

Explanation: (i) The above rates shall be applicable on the instrument of sale.

- (ii) Where in the instrument of sale of agriculture land the number of buyers are more than one and share of any buyer is 1000 square meter or less, value of such share of land shall be calculated at the rate of residential land of that area."; and

- (v) in clause 14, the existing Explanation (i) shall be substituted by the following, namely:-

"(i) The above rates specified for institutional, residential and commercial land in RIICO Industrial Area shall also be

15

applicable on the matters pending before the Collector (Stamps)
or any other Court."

[No.F.4(3)FD/Tax/2018-190]

By order of the Governor,


(Praveen Gupta)

Secretary to the Government